

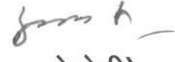
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (यू-17) अलेसे-1/ 977

दिनांक:- 04/07/2020

कार्यालय आदेश

श्री उदय लाल चमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिनक नं0 5283), कार्यालय-उपकोषाधिकारी, हुरडा (भीलवाड़ा) ने स्वयं के नाम परिवर्तन के लिए राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम-8 (क) के निर्णय संख्या 5 की पालना पूर्ण कर ली है। अतः श्री उदय लाल चमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिनक नं0 5283), कार्यालय-उपकोषाधिकारी, हुरडा (भीलवाड़ा) का नाम परिवर्तित कर, "उदय लाल चमार" के स्थान पर "उदय लाल बैरवा" करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (यू-17) अलेसे-1/ 977

दिनांक:- 01/07/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, भीलवाड़ा।
3. उपकोषाधिकारी, हुरडा (भीलवाड़ा)।
4. श्री उदय लाल बैरवा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय-उपकोषाधिकारी, हुरडा (भीलवाड़ा)।
5. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/निजी पत्रावली/गार्ड फाइल।


(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)